>

Title: Regarding International Women's Day.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अध्यक्षीय पीठ से आपने बहुत ही सशक्त टिप्पणी महिलाओं के संबंध में की है।

अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण आज के दिन पूरी दुनिया में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, समाधान खोजे जाते हैं और संकल्प किये जाते हैं। भारत में भी महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करना और बाद में उन्हें भूल जाना, यह केवल रस्म निभाई होता है।

आज जब मैं सदन में प्रवेश कर रही थी, कामरेड गुरुदास दासगुप्त मुझे मिले और हाथ जोड़कर बोले, "Let me greet you today". I said: "Yes, for 364 days you beat us and on 365th day you greet us." उन्होंने बहुत सहमति के स्वर में कहा, "This is true." इसलिए आज मेरा सुझाव है कि सभी मुद्दों पर चर्चा करने और बाद में उन्हें भूल जाने के बजाए यदि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सबसे सामयिक, सबसे प्रासांगिक एक मुद्दा पकड़ें और वर्ष भर संकल्पित होकर उसका समाधान करें और अगले वर्ष यह आंकलन करते हुए संतोष करें कि उस मुद्दे का समाधान हमने कर लिया और फिर आगे बढ़ें तो यह ज्यादा बेहतर होगा। पिछले दिनों जो घटनाक्रम चला है उसके लिए मेरा सुझाव है कि यह वर्ष हम "महिला सुरक्षा" को समर्पित करें।

अध्यक्ष जी, जब मैं भारत की महिलाओं पर दृष्टिपात करती हूं तो एक बड़ा असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला हमारे यहां राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई, महिला वर्षोंवर्ष प्रधानमंत्री रही। आज हमारी अध्यक्षीय पीठ पर महिला शोभायमान है, आज सत्तारूढ़ गठबंधन की शक्तिशाली नेत्री एक महिला है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नेता-प्रतिपक्ष महिला है। हमारी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने वर्जनाओं को भेदकर अंतरिक्ष में उड़ानें भरी हैं। संतोष यादव ने अपने महिला पांवों से बार-बार हिमालय को नापा है। अध्यक्ष जी, यह वह चित्र है जो हमें गौरवान्वित करता है, यह वह चित्र है जो भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाता है। लेकिन एक दूसरा चित्र भी है जहां महिला न जन्म से पहले सुरक्षित है और न बाद में सुरक्षित है। वह माता के गर्भ में मार दी जाती है और भ्रूण हत्या करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है, यह कार्य माता-पिता करते हैं, दादा-दादी करवाते हैं। जन्म के बाद तो न दो वर्ष की बच्ची सुरक्षित है, न 60 वर्ष की वृद्धा सुरक्षित है। दिल और दिमाग कौंधने लगता है जब अखबार में पढ़ने को मिलता है कि दो वर्ष की बच्ची बलात्कार की शिकार हुई, 7 वर्ष की स्कूली बच्ची के साथ स्कूल के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, 60 वर्ष की बूढ़ी औरत के साथ गैंग-रेप हुआ। हमारा माथा शर्म से झुक जाता है और दिल दर्द से भर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज का वर्ष यदि महिला सुरक्षा के लिए समर्पित कर दें, तो हम एक संकल्प ले सकते हैं, जो संकल्प दिल्ली के बच्चों ने लिया। दिसम्बर 16 को जो घटना घटी, उसके बाद जनाक्रोश पनपा। हम लोगों को लगा कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन अगर आप आज के दिल्ली के दो प्रमुख अंग्रेजी अखबारों को देखें तो उनकी हैडलाइन है, "96 per cent women are unsafe in the Capital." दूसरे की हैडलाइन है, "Every two hours, a woman is raped and molested in Delhi." यह मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, एक राजधानी या एक शहर तक सीमित होता तो शायद इतनी चिंता की बात नहीं थी, यह कमोबेश पूरे देश में व्याप्त है। किसी भी दल की सरकार हो, यह मामला किसी एक सरकार का नहीं है। किसी भी दल का शासन हो, लेकिन स्थिति यही है। यह स्थिति केवल दो चीजों से बदल सकती है। पहली चीज समाज की सोच से और दूसरी चीज व्यवस्था के खौफ से। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि समाज की सोच विकृत हो गई है। यह सोच हर समय विकृत रही है, सतयुग में भी रही है। कम या ज्यादा अच्छे बुरे लोग हमेशा समाज में रहते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था अपना खौफ बनाए रखे, तो बुराई ढकी रहती है और बुरे लोग बुरा काम करने से डरते हैं। आज दिक्कत यह है कि व्यवस्था का कोई खौफ नहीं बचा है और समाज की सोच विकृत से विकृत होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन की चर्चा तभी सार्थक होगी, जब आज हम सभी संकल्प करें, वह संकल्प हम अपने स्तर पर भी करें, हमारी राज्य सरकारें भी संकल्प करें, हमारी केंद्र सरकार भी संकल्प करे, हमारी विभिन्न संस्थाएं भी संकल्प करें, हमारे समाज का हर व्यक्ति अगर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संकल्प करे कि हम अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, उनके मन में कभी भी असुरक्षा का भाव पैदा नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाकई सार्थक हो जाएगा और पहले की तरह केवल एक रस्म निभाने वाला नहीं रह जाएगा।

अध्यक्ष महोदया :

श्रीमती दर्शना जरदोश और

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए विषय से सम्बद्ध करती हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदया, महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। आज सोनिया जी का नाम सशक्त महिलाओं में पहले स्थान पर आया है, इसलिए मैं आपको सम्पूर्ण सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। मैडम, यह मौका बहुत कम मिला है और आगे भविष्य में पता नहीं कब मिलेगा, जब स्पीकर के पद पर आप बैठी हैं, जब यूपीए की चेयरपरसन सोनिया गांधी जी है, विपक्ष की नेता सुषमा जी हैं और सदन में पिछली घटना के बाद पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की संवेदना में कोई विभेद मुझे दिखाई नहीं देता है। यही संवेदना के पंख सभी के दिल में हैं। ऐसे हालात में बहुत कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है और आज देश की भी यही मांग है। इसीलिए मैं कहती हूं कि बहुत कम मौका मिला और आगे पता नहीं कब मौका मिले इसलिए ये रोशनी के लम्हे कहीं रायेगा न न जाएं, एक ख्वाब देख डालो, एक इंकलाब लाओ, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आपने जो गाइड लाइन दी है कि हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, लेकिन यह विश्व भर का पैराडॉक्स है और विशेष कर भारत का भी कि यत्र नार्यस्तु से ले कर नीचे तक देखा जाए तो जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया था कि जब महिला के दोनों हाथ भी काट दिए जाएं, तो वह कहां से खाना खाएगी।

मैंने बहुत-सी बातों का जिक्र पिछली बार कर दिया था, उनका जिक्र दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन आपने कहा कि हिंसा समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध और उसी को

सुषमा जी ने कहा कि यह वर्ष हम महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से रखें, इसके लिए सरकार ने पहल की है। मुझे एक गाने की लाइनें बार-बार याद आती हैं - आधा है और आधे की जरूरत है। उस दुर्दांत घटना के बाद सरकार जिस तरह से आर्डिनेंस ले कर आई, चिदम्बरम जी को मैं सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं कि निर्भय योजना बनाकर एक सशक्त क़दम और उसके साथ-साथ महिलाओं के लिए बैंक खाते की व्यवस्था की है, लेकिन निर्भय योजना हमारे आज के संकल्प की प्रतिमूर्ति दिखाई देता है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं।

आज मैं सदन के सामने उन असुरक्षित महिलाओं का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जो अछूती रह जाती हैं। उसमें सबसे पहले रेप तो है ही, जिसके संबंध में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर वह बिल जो चार दिसम्बर को रखा था, वह बिल सदन में आएगा, जो आर्डिनेंस को हमें रेटीफाई करना है उस पर हम फिर बात करेंगे इसलिए मैं रेप पर, सुषमा जी ने सही कहा कि रेप की अगर घटनाएं देखें तो न केवल दिल्ली बल्कि आज मेरे पास समस्त राज्यों के मेरे पास डेटा हैं लेकिन मैं समय की कमी के कारण बताना नहीं चाहती हूं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां महिलाओं से बलात्कार या छेड़छाड़ की घटनाएं में लगातार वृद्धि न हो रही हो इसके बावजूद कि सरकार बहुत कड़े कानून ला चुकी है और ला भी रही है। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर सदन के सोचने का विषय है।

यह सदन साक्षी रहा है नेहरू जी की पंचवर्षीय योजनाओं का जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। यह सदन साक्षी रहा है, जब पता नहीं इंदिरा जी कब महिलाओं के प्रति अपने असूलों के कारण इस देश की माँ बन गई। यह देश साक्षी रहा है जब हर गवर्नमेंट आई है और मैं वर्ष 2001 का भी जिक्र करूंगी तथा राजीव जी का विशेषकर जिक्र जब महिलाओं के लिए काफी कुछ किया गया। लेकिन मैं आज कुछ अनछुए विषयों को केवल टच करूंगी और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगी। मैंने वर्ष 2001 का भी इसीलिए जिक्र किया था कि प्रत्येक प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में बहुत कुछ किया गया था लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है जैसा अभी आपने कहा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के बारे में जो प्रोविजन एक्ट है, उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मुझे 70 हजार सैक्स वर्कर्स की तरफ से एक चिट्ठी मिली थी कि मैं उनके बीच में जाऊं। मैं वहां पर गई और बंगाल के हमारे साथी इस बात के साक्षी हैं। डैथ बैड पर पड़ी हुई एक महिला ने मुझे केवल इसलिए बुलाया था कि उसमें शरीक होकर मैं उनके दर्द की बात को सुनूं। मैं यहां यह कहने के लिए नहीं आई हूं कि उसको ठीक किया जाए, उसको लॉफुल बनाया जाए। नहीं बनाया जाए, लेकिन उस महिला ने कहा कि जो हमारे तीन प्रश्न हैं, उनको तो हल करो। जो महिलाएं दुखी, पीड़ित और वृद्ध हो जाती हैं, विशेषकर रोगग्रस्त हो जाती हैं, उनके बारे में क्या व्यवस्था की गई है? मैंने स्वयं यह देखा कि जब उन्हीं में से निकलकर मुझे वहां ले जाया गया तो एक छोटे से कक्ष में वह महिला भर्ती थी और उसको संक्रमण रोग हो गया था। दूर से थाली उसके ऊपर फेंक दी जाती थी कि खाना खाए या नहीं खाए। उसकी परिचर्चा की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके बच्चे कहां पर जाएं? उनके बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है? भुभुक्षता किम् न करोति पापम्? कोई भी महिला इस कार्य को अपनी मर्जी से नहीं चुनती है और यदि वह चुनती भी है तो वह उसके लिए जब लास्ट ऑप्शन होता है, तब वह इस व्यवसाय को चुनती है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगी कि ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा? इस संबंध में कानून में बहुत कुछ फेरबदल करना बाकी है।

दूसरा बिन्दु जिसके बारे में शरद जी बीएसी की मीटिंग में बार बार इस बात को उठाते हैं और वह है- इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमैन इन मीडिया। पता नहीं यह क्या सोच है? जब सुषमा जी आप आई एंड बी मिनिस्टर थीं और मैं भी आई एंड बी मिनिस्टर थी, तब से हम लोगों के प्रयास इस बारे में जारी हैं और जब वहां पर भी महिला को एक सिगरेट के विज्ञापन से लेकर किसी भी विज्ञापन में उस तरह से विज्ञापित किया जाता है या महिला को अधनंगी दिखाकर पेश किया जाता है तो हम उस संबंध में कानून में कोई कड़ा परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहे हैं?

तीसरे, डॉमैस्टिक वॉयलेंस एक्ट बन गया है। वूमैन कमीशन और हमारी महिला मंत्री बैठी हैं, उन्होंने उसको रखने में भी काफी मुशक्कत की थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक प्रोटैक्शन ऑफिसर्स जो बने हैं, वे भी नाकामयाब हुए हैं और केवल एक दो राज्य को छोड़कर डॉमैस्टिक वॉयलेंस पर कोई रोक नहीं लगी है। इसी तरह से आज भी प्रत्येक राज्य में और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आज भी प्रत्येक राज्य में वह डायन प्रथा कायम है जिसमें किसी महिला को उस गांव में या उस क्षेत्र में डायन करार कर दिया जाता है और चाहे वह वैस्ट बंगाल से लेकर राजस्थान तक का जिक्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक का जिक्र हो, मैं जब गई तो मुझे पता लगा कि केरल के दो जिले भी इस प्रथा से त्रस्त हैं। इसके संबंध में कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं इस ग्रे एरिया को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं।

हम बहुत बार बुजुर्गों के संबंध में कानून लेकर आए हैं लेकिन मैं उन बुजुर्ग महिलाओं की बात करना चाहती हूं जिनको उनके बेटे घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे खुशी है कि सरकार सभी बुजुर्गों के लिए एक राहत लेकर आई है कि सरकार वृद्धा पेंशन में वृद्धि कर रही है। लेकिन महिला के दिल की बात मैं जरूर कहूंगी। एक महिला जिसके सारे शरीर में नील पड़े हुए थे और उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक शर्त पर अपनी बात, अपना दुख कहूंगी कि जिसने भी मेरे साथ यह कृत्य किया है, उसको सजा नहीं दिलाई जाए। केवल मेरी व्यवस्था की जाए और उसका इस बात के पीछे कहने का यह अर्थ इसलिए था क्योंकि उसके दोनों बेटों ने उसको इस तरह से पीटा था लेकिन फिर भी वह मां उन बेटों के लिए माफी की मांग कर रही थी। इसलिए मैं आज यहां कहना चाहती हूं कि इस कानून में और कड़ाई करने की जरूरत है। केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह माता-पिता की देखभाल करे। महिलाएं अपने घरों में बहुत असुरक्षित हैं।

मैं महिला के संबंध में जेल की बात भी करना चाहूंगी। जेल के जो हालात हैं कि महिलाओं के चालान नहीं होते। महिलाओं के संबंध में कुछ बैठता नहीं है, उनके आगे के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होती। जयपुर की जेल में जब मैं पहुंची तो वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में एक महिला ने पांच-छ: नृत्य प्रस्तुत किये थे। वह एक छोटी सी बच्ची थी और मेरे ख्याल से 20-21 वर्ष की वह होगी। उसने बीच में जाकर अपने बच्चे को दूध भी पिलाया। मैंने पूछा कि यह यहां पर कैसे हैं? तब मुझे मालूम पड़ा कि उसके ऊपर चार मर्डर केसेज हैं। मैंने उससे कहा - बेटा ऐसी क्या वजह थी? तब उसने बताया कि मुझे बार-बार गैंगरेप किया जा रहा था, जब कानून ने मेरी बात नहीं सुनी, पुलिस ने नहीं सुनी तब मुझे ही निर्णय लेना पड़ा मैंने इससे बचने का एक ही तरीका सोचा। मैंने एक दिन उन्हें आमंत्रित किया और उन सबको ज़हर दे दिया। उसे क्या सज़ा दें? इस संबंध में क्या बात करें?

अध्यक्ष महोदया, जेल से लेकर एनआरआई महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। रात को दो बजे गिरती बर्फ में महिला को घर से निकाल दिया जाता है। शादी करके महिलाओं को ले जाया नहीं जाता है। बच्चों को छोड़ कर फिर विदेश चले जाते हैं। यहां झूठ बोलते हैं वे शादीशुदा नहीं हैं जबकि वे शादीशुदा होते हैं। शादी करके लड़कियों को ले जाते हैं और नौकरानी का कार्य कराते हैं। यदि वे बीमार पड़ जाती हैं तो मजबूर करके बाहर फेंक दिया जाता है। मैं अपील करती हूं क्योंकि एनआरआई को विकसित करने की जरूरत है। मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा छुआ है। आज भी मैं रो पड़ती हूं जब मुझे वह घटना याद आती है। एक दिन रेड लाइट

पर मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैंने एक महिला को भीख मांगते हुए देखा। उसकी आंखे झुकी थी और बाल बिखरे थे। ऐसा लग रहा था कि अर्ध विक्षिप्त या विक्षिप्त है। मैंने गाड़ी से उतरकर उससे एक तरफ ले जाकर बातचीत की तब पता चला कि वह एक्स आईएएस अफसर है। मैंने जब इसी तरह की अन्य महिलाओं का सर्वे कराया तब पता चला कि इनमें से बहुत सी प्रिंसीपल हैं, पढ़ी लिखी हैं। इन महिलाओं के खिलाफ पतियों ने डिवोर्स का एक माध्यम अपनाया कि यदि वे मेंटली फिट नहीं है तो डिवोर्स दिया जा सकता है। ऐसी महिलाएं आज सड़क पर हैं। क्या सड़क ही आज इनका रिप्लाई है? सड़क ही इनका उत्तर है? मैं पूछना चाहती हूं कि इस संबंध में कानून बनाकर रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं सदन से अपील करती हूं कि हिंसा कम के लिए कुछ किया जाए।

अध्यक्ष महोदया, एक छोटी सी बच्ची आई, उसने मुझ कुछ पंक्तियां सुनाई थी।

हमको भी देखो, हमको भी जानो,

हम भी हैं इंसान, इतना तो मानो।

मैं यही अपील करती हूं कि हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाए। रेप से बचने के लिए सुरक्षा तो चाहिए ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कमेंट किया, मैं समझती हूं कि इससे बढ़कर किसी और का कमेंट नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा - अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो वह एक बार मरती है लेकिन यदि किसी महिला का ब्लात्कार होता है तो वह हर पल मरती है। उस दुखांत घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है लेकिन अभी भी अत्याचार जारी है। हमें सदन और सारा विश्व देख रहा है, इस संबंध में हम सब एक संकल्प के साथ आगे आएं क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहती हूं कि सदन केवल इस महिला दिवस को आज तक सीमित न रखे बल्कि इस बात को लेकर आगे भी चिंतित हो। मैंने कुछ बातों को इंगित किया है लेकिन कुछ बातें और रह गई हैं। क्या महिलाओं को आज भी डायन प्रथा से जलाकर नहीं मार दिया जाता है? इस हिंसा के बारे में हम क्या कहेंगे? हमें इन हालात में जागना चाहिए। सम्पूर्ण हिंसा के प्रति भारत कानून की दृष्टि में आगे है, हमने सारे नेशनल यूएन के प्रोटोकाल को रेटिफाई किया है। इसके अतिरिक्त कई कानून हैं। हमारी चार भुजाएं हैं। हमें कांस्टीट्युशनल राइट मिले हैं, आईपीसी के भी हैं। हम संसद में बार-बार विभिन्न प्रकार के बिल पारित करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जो कानून का रूप ले लेते हैं। इन चारों भुजाओं के बावजूद भी जब हम पैरों की तरफ देखते हैं तो हमारा हाल वही होता है जो मोर की दशा अपने पैरों को देखकर होती है। मैं आज आक्रोशित हूं। क्या मैं आज शर्मिंदगी महसूस करूं? मैं किस पर गुस्सा करूं और किस पर नहीं करूं। जनता जनार्दन ने बहुत सोच समझकर हमें यहां भेजा है। हम बहुत एक-दूसरे की बातों पर बहुत लड़ लिए। हमें इन बातों पर न तो राजनीति करनी है और न वोट बैंक को देखकर महिलाओं को केवल सब्जेक्ट समझना है। हमें उन्हें ऑब्जेक्ट समझना है।

अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत समय पूर्व एफीजीनिया की बात कहना चाहती हूं। एफीजीनिया ग्रीस की थी। एक बार जब वहां अकाल पड़ा तब पंडितों ने कहा कि जब तक किसी कन्या का वध नहीं होगा तब तक इस अकाल से मुक्त नहीं होंगे। उस समय 13 वर्ष की सुन्दरतम कन्या को ढूंढा गया। मैं आपको केवल अंतिम परिदृश्य की तरफ ले जाना चाहती हूं। अंतिम मंतू उच्चारण के बीच पंडित कहते हैं - एफीजीनिया, तुम सौभाग्यशाली हो, कल से तुम्हारे लिए आल्टर्स बनेंगे, मंदिर बनेंगे क्योंकि तुम देश और धर्म के लिए कुर्बान हो रही हो, तुम्हारे मन में अंतिम इच्छा है तो बोलो। वह रुकती है, ठिठकती है, पहले मना करती है और फिर गरदन को थोड़ा सा मोड़कर कहती है कि हां, मुझे इतना ही कहना है कि मेरी आने वाली पीढ़ी की बहनों को एक वस्तु नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाए। व्यक्तित्व का दर्जा और सुरक्षा हम लोग भीख में नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बहुत मशक्कत करके यहां तक पहुंचे हैं, मीरा जी, आपने भी बहुत मशक्कत की है, हम सभी ने बहुत मशक्कत की है, बहुत मशक्कत के साथ आप लोगों ने हमें वोट दिलाया है और आप देते रहे हैं। बहुत मशक्कत के साथ आप एक घर को संभालती हैं। मैं आशान्वित हूं, क्योंकि यदि महिला आशा नहीं रखेगी तो समरसता कहां से आयेगी, समदृष्टि कहां से आयेगी, आपके घर और परिवार कहां से चलेंगे, कैसे एक सुंदर भविष्य का निर्माण होगा, कैसे एक नई सुबह होगी। एक नई सुबह इंतजार में है और आज इसकी खबर भारत से जानी चाहिए कि भारत की संसद ने समवेत स्वर में इस बात की घोषणा कर दी है, इस बात का संकल्प लिया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह घर से लेकर बाहर की हो, किसी भी प्रकार की असुरक्षा, चाहे वह कहीं की भी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कड़े कानून के रूप में हम लोगों की प्राथमिकता हो।

मैडम, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस बारे में हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन उसके बावजूद मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप एक कमेटी बनाइये, उस कमेटी में जो हमारे ग्रे एरियाज रह गये हैं, जिनमें कुछ कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है और कुछ में नये कानून लाने की जरूरत है और यह काम हम इसी कार्यकाल के दौरान करें।

अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम लोगों की भागीदारी नहीं होगी, हम 22 से 60 तक तो पहुंचे हैं, लेकिन 22 से 60 तक पर्याप्त संख्या नहीं होती। आप अपने माइंडसैट को बदलिये और आकर मदद कीजिए। चलिये एक नये भारत का, एक नई सुबह का, एक नई फिजां का, एक नई खुशबू का, एक नये संगीत का हम लोग आह्वान करें और वह आह्वान आपकी सुरीली आवाज के साथ होगा, जिस आवाज में सुरीलेपन के साथ-साथ दृढ़ता है, वही सुरीलापन, वही सौंदर्य, वही माधुर्य रखते हुए हम कड़ाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए संसद सामने आये, करबद्ध होकर यही विनती मैं आपसे करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया :

श्री पन्ना लाल पुनिया जी.

श्री एस.एस. रामासुब्बू और

श्री जगदम्बिका पाल जी अपने आपको डा.िगरिजा व्यास के विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष इसके लिए एक थीम निर्धारित किया जाता है और इस बार का थीम है - 'A promise is a promise: Time to end violence against women'. महिलाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। आज हिंदुस्तान में भी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज कवि महिला के दर्द को उभारेगा, महिला संगठन कुछ नया करने की कसमें खायेंगी, पीड़ित महिलाएं कानून की तरफ आस से देखेंगी, कुछ सरकारी संगठन इस पर्व पर औपचारिकताएं निभायेंगे। सवाल उठता है कि क्या आज मिसेज रचना, मिसेज सपना के लिए मुक्ति की बात होगी या गांव की दुलारी या बिटाना के लिए भी कुछ न्याय की बात होगी। आज तथाकथित राजनेता और नीति-नियंता क्या हमारे लिए कुछ करेंगे? मैं कहना चाहती हूं - "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।" छायावाद काव्य की परम्परा को पचास वर्ष से भी अधिक हो गये हैं, दुनिया के नक्शे कई बार बदले हैं, हिंदुस्तान की सूरत बदली है, समाज का ढांचा बदला है, राजनीति के तौर-तरीके बदले हैं, गांवों की तस्वीर बदली है, शहरों की चकाचौंध बदली है, परंतु महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। मैं ग्रामीण परिवेश से चुनकर आती हूं और देखती हूं कि गांव में जब एक महिला के बेटी पैदा होती है तो शोक छा जाता है।

उसी गांव में जब एक भैंस पड़िया को जन्म देती है तो खुशी आ जाती है क्योंकि लोग लोग कहते हैं कि इससे धन का उपार्जन होगा। हम आज बढ़ते जा रहे हैं, आज दुनिया के नक्शे पर हम छाते जा रहे हैं, पर कितनी विडंबना है कि आज यौन शोषण में भी हमको धकेला जा रहा है। आज यौन शोषण में भी महिलाओं को तड़पाया जा रहा है। महिलाओं के आंचल में उनके लिए कितना दर्द है। क्या बताएं बड़ी तबाही है, महिला की ज़िंदगी फैलती स्याही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर आपकी इजाजत हो तो केंद्रीय सरकार द्वारा संकलित आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सात मिनट के अंदर एक महिला अपराध की शिकार हो जाती है। प्रत्येक 24 मिनट बाद एक महिला के साथ ए-वन शोषण का प्रयास किया जाता है। 43 मिनट के अंतराल पर एक महिला का अपहरण हो जाता है। प्रत्येक 51 मिनट पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है। पर इन सबकी शिकायत पुलिस के आंकड़ों में ज्यादा दर्ज नहीं होती है। प्रत्येक 54 मिनिट पर एक महिला बलात्कार की शिकार होती है। 1 घंटा 42 मिनट के अंतराल पर एक महिला दहेज उत्पीड़न की भेंट चढ़ जाती है। हिंसा के ये आंकड़े मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये केंद्रीय सरकार द्वारा सकंलित महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के आंकड़े हैं। आज कैसी विडंबना है कि नारों के सैलाब में नारी की चित्कार विलीन होती जा रही है।

महोदया, पूरा सदन आज महिला दिवस का स्वागत कर रहा है, परंतु बीते साल के कुछ ऐसे ज़ख्म हैं, जो मन को व्यथित कर रहे हैं। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार युवती नरपिशाचों के चंगुल में फंस गई और हार गई। यह मौत केवल मौत नहीं है बल्कि व्यवस्था पर देश के भरोसे की मौत है। यह देश की राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा के अहसास की मौत है। बहादुर लड़की की मौत देश की सरकार, रहनुमाओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों का प्रतीक बन गई है। महिलाओं पर होने वाले अन्याय का प्रतीक बन कर ऊभरी यह युवती पहले एक मशाल बनी, फिर मशाल के साथ समाज के हर तबके को संवेदना दे गई।

माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार को जागना पड़ा। तभी सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने खुद कहा कि हमने देश और विदेश से 80 हज़ार आंकड़ें एकत्रित किए। हमें सुझाव मिले हैं, जिसमें कार्यकताओं ने, महिला संगठनों ने, विद्वानों ने, विदुषियों ने, वकीलों ने तथा विदेश के प्रोफ़ेसरों ने हमें जो सुझाव दिए हैं, उन्हें हमने 631 पृष्ठों में समावेश किया है। हमें इसे दो महीनों में प्रस्तुत करना था, पर हमने 29 दिन में इसको प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने अफ़सोस भी जताया है। ये आंकड़ें हमें समाज के हर वर्गों से मिले हैं। परंतु देश के राज्यों के डीजीपी या वरिष्ठ पुलिस अफ़सरों से हमें कोई भी सुझाव नहीं मिला है। उन्होंने युवाओं की तारीफ की है और यह कहा है कि युवाओं ने हमें वह सब कुछ सिखाया है, जो आज विशिष्ठ श्रेणी के लोगों ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया है।

महोदया, मैं कहना चाहती हूँ कि जस्टिस वर्मा जी ने आपको जो रिपोर्ट अध्यादेश के रूप में दी है, निश्चित तौर पर यह मील का पत्थर साबित होगी। भले ही यह रिपोर्ट आधी-अधूरी हो, भले ही इसमें कुछ खामियां हों, लेकिन यह रिपोर्ट महिलाओं के लिए सहायक होगी। मैं उस बहादुर निर्भया युवती को महिला दिवस पर अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते हुए कहना चाहती हूँ कि -

"तू चुप है, लेकिन गुंजेगी सदा ये अहसास पर तेरी, दुनिया की अंधेरी रातों में ढांढस देगी आवाज़ तेरी। "

महोदया, आज महिला दिवस है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर अगर बात न की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। महिलाएं अपने पति, अपने पुत्र, अपने पिता के कदमों पर रहती हैं, उनके रहमों पर रहती हैं। पर आज सभी सामाजिक संगठन और सरकारें यह झुनझुना हमको पकड़ाएंगे कि हमने महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण मैं उसी दिन मानूंगी, जिस दिन महिलाएं अपने पैरों पर खड़े हो कर खुद धन का उपार्जन करेंगी और अपने हाथों से कमा कर अपने हाथों को चूड़ियों से सजाएंगी, अपने माथे को बिंदिया से सजाएंगी, तभी मैं समझूंगी कि उनका सशक्तिकरण हो गया है।

महोदया, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था अगर साठ सैंकड़ा, दलित, कुचले, दबे हुए, पीड़ित, हरिजन, महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के हाथों में जब यह सत्ता आएगी, जो वे मातृभाषा बोलते हैं, वही उस दिन कलम से लिखी जाएगी, तब इस देश में सफल इंकलाब का आगमन होगा। ऐसा इंकलाब आयेगा जिससे भारत मां को अपने सारे अपमानों से निजात दिला देगा, जो वह कई वर्षों से सहती चली आ रही है।

महोदया, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के सपनों को साकार करने में लगी हुयी है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 1090 की शुरूआत की गयी है, जिससे महिलाओं को पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है। हेल्पलाइन केंद्रों पर संपर्क करने वाली महिलाओं को हरसंभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज मुस्लिम बालिकाओं को तीस हजार रूपए के अनुदान का प्रावधान है और इस तीस हजार रूपए वितरण का काम बखूबी किया जा रहा है। हाई स्कूल पास लड़कियां को, जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी है, कन्या विद्या धन के रूप में उनको बीस हजार रूपए वितरित किए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए चिकित्सीय सहायता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है और यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि उसको पांच वर्ष में बी.एड. की मान्यता दी जाएगी।

महोदया, प्राथमिक स्तर पर भी सभी बच्चियों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी। कक्षा आठ तक की सभी कन्याओं को पुस्तकें मुफ्त में दी जायेंगी और दो ड्रेस हर साल वितरित होंगी।

महोदया, मैं अंत में कहना चाहूंगी कि इस देश की सारी महिलाओं को मैं सलाम करती हूं और शुभकामना देती हूं, जो मंजिल उनको अब तक नहीं मिली है, जिस मंजिल से वे दूर रही हैं, वह मंजिल और कामयाबी पाएं, जो उनसे दूर है। मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूं कि हर चिंगारी एक दिन अंगार बनती है, हर टहनी एक दिन पतवार बनती है, जो रौंदी गयी मिट्टी समझकर, जो रौंदी गयी बेबस मिट्टी समझकर, वही एक दिन मीनार बनती है।" सारी महिलाओं और आपको मेरा सलाम।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Madam, on this International Women's Day, may I congratulate you and congratulate that huge population of our country which makes up half the population of this nation.

MADAM SPEAKER: Thank you.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : I would also like to, on this day, talk about a few facts and figures which are hard and sad reality of the plight of these women. Like my hon. colleague, who spoke before me, read out some figures, I would also like to reiterate those figures. We live in a country where every 12 minutes, some woman in some corner is assaulted or molested; every 14 minutes, a girl is kidnapped; every 20 minutes, a rape occurs; and every 60 minutes, a woman dies a dowry death. What for me personally is more shameful of all is that the UNESCO Report says that 2,000 baby girls do not take birth in our country. They are killed even before they get a chance to live a life. In this scenario, if we look at the conviction rate in cases of sex determination, it is less than one per cent. If we look at convictions in the courts, be it the case of murder, rape, assault or molestation, it is less than 23 per cent and the maximum is 25 per cent, and 75 per cent of the perpetrators of these crimes go scot-free. There is no fear of the law. There is no fear of doing wrong things to women. That is the reason why the safety and the security of our women is something that this House needs to be really concerned about.

I would also like to state that we live in a nation where 58 per cent of our women are still malnourished and the sad part is that Indians constitute 25 per cent of the maternal mortality rate, where the mothers die during child birth, of the global maternal mortality rate. Hardly 60 per cent of our women are educated.

In this scenario, when our Government puts aside barely Rs. 1,000 crore to improve the situation and to improve the things, which are drastically needed to be done, to enhance the status of these women, I think it is too little and too late. I also feel that if it takes an International Women's Day to talk about all these things, I would appeal to you, Madam Speaker, as a woman that at least, as I had requested earlier, put aside two days in every Session where specific women issues need to be addressed. It is because this one day and this little amount that our Government puts aside does not reflect the determination or the strong resolve that is required, and we do not want it to be mere words alone. Millions of women look up to us that this House here will do something concrete to make their life better, and to ensure that they feel safe and secure in their own country, which is enshrined in our Constitution. Then, why do we just stick to mere words and mere tokenism and do not do anything which is required, the strong resolve that is required, which needs to be reflected from here?

I appeal to you, Madam, to put aside certain days in every Session where these issues are discussed so that they remain in focus and something concrete comes out of it. I also appeal to the nation, to all the women and to all the men that please keep up the pressure on the Governments so that this issue remains in focus. It is only when the public does that, I am sure we can ensure the accountability or the answerability of the Police, ensure that the judiciary speeds up the cases, and ensure that those poor victims who need to be rehabilitated are rehabilitated. That is the only way. This is the first time that this is being spoken about, and there are so many millions who do not even get an opportunity to voice these things, and they suffer from all this.

So, on this International Women's Day, on behalf of all the women of my nation, Madam, I appeal to you as a woman that please do not let this be just another day and just another occasion where we get to vent out our feelings. Let us make a resolve today that we will make a difference before this Fifteenth Lok Sabha comes to an end by ensuring that the laws are in place, that the women who just look for safe and secure environment gets justice and she gets that safe and secure environment that she is entitled to.

अध्यक्ष महोदया : श्री दारा सिंह चौहान।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मेरा भी एक नोटिस है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : दारा सिंह चौहान जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री शरद यादव।

श्री जगदम्बिका पाल : इनकी पार्टी में कोई महिला ही नहीं है। ...(व्यवधान) आप इन्हीं से बुलवाइए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, आपने हमारा नाम इतनी धीरे से लिया तो हम ऐसा समझे कि आपकी इच्छा हमें बुलाने की नहीं थी। बात भी सही है कि हम महिला नहीं हैं। लेकिन हम अर्द्धनारीश्वर तो हैं ही, आधा महिला हैं, आधा पुरुष हैं।

अध्यक्ष महोदया : शरद जी, ऐसा है कि मैंने तो आपका नाम लिया था, मगर आप ही डर-डर के उठे हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री शरद यादव : नहीं नहीं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मगर मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हम सब आपको सुनेंगे।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, सुषमा जी ने, गिरिजा जी ने और सुशीला सरोज जी ने जो बातें कहीं, इन तीनों की बात से मैं सहमत हूँ। सुषमा जी ने सुझाव दिया है कि एक बरस ज़रूर इस पर चर्चा चलती रहे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जगत बनेगा, समाज बनेगा तो व्यक्ति बनेगा। व्यक्ति का मतलब पुरुष और महिला दोनों है। बात यह है कि सुषमा जी ने और गिरिजा जी ने जो बात बोली, ऐसे बहुत लोग बोलते आ रहे हैं। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और कौरवों तथा पाण्डवों को शिक्षा दे रहे थे, आज तो सदन में गिरिजा जी और सुषमा जी हैं, लेकिन उस ज़माने में जिसके इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं है लेकिन चरित्र तो विकट है। जब भीष्म पितामह शिक्षा देने लगे कि कैसे दुनिया में रहना चाहिए और कैसे होना चाहिए, मेरे बाद क्या करो, तो द्रौपदी हँस पड़ी। इस पर अर्जुन दौड़ा कि क्यों हँस रही हो, हमारे पितामह मर रहे हैं और किस तरह की बात कर रही हो? कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तो बहुत तेजस्वी महिला है, सुनो तो सही कि वह क्या बात कह रही है।

वह बोले कि आप जिंदगी भर जो बात बोलते रहे, उसके विपरीत काम करते रहे और अब आप शिक्षा दे रहे हैं। गिरिजा जी, यानी द्रोपदी ही एक ऐसी महिला है, जिसका हर घर में किस्सा है। इस किस्से को धार्मिक लोग क्यों नहीं निकालते हैं। सुषमा जी ने सही बात कही है कि इस बारे में बहस होनी चाहिए। बहस का मतलब है कि जो थोथी बात है, उसे अलग निकालो और सार बात को रख लो। इसमें एक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदया, जिस देश की माँ दुखी, पीड़ित और सताई होती है, वह देश दुनिया के इतिहास में पनपता नहीं है। कैसा बदकिस्मत देश है कि 1100 बरस हम हारते ही रहे। हम इसलिए हारे क्योंकि हमने माँ गुलाम करके रखी थी। अब मैं उस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि माँ गुलाम क्यों है। यदि सुषमा जी मुझे इजाजत देंगी तो गिरिजा जी मैं जरूर कहूंगा। महिला की त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यह जगत है, समाज है।...(व्यवधान) व्यवस्था की बात छोड़िए। व्यवस्था से काम नहीं चलता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि गिरिजा जी ने कहा कि कानून बनना चाहिए, यह बात सही है। आज का जो तात्कालिक हमारा कर्तव्य है वह जरूर व्यावहारिक कारण बनेगा। लेकिन दूर तक लम्बे समय तक कैसे महिला मुक्ति होगी? कैसे माँ, बहन, बेटी मुक्त होगी? बायलोजिकल डिफरेंस को इतना बढा दिया गया है कि हमारी खुद महिलाएं कह रही हैं कि आधी आबादी है। मैं आपसे कहता हूं कि आधी क्या बल्कि पूरा देश मिला कर आप हैं। शरद यादव का तन तो माँ से बना है, मेरे बाप का क्या योगदान है। मैं सही कह रहा हूं कि मेरे

अंदर जो साहस है, वह मेरी माँ के कारण है। मेरी माँ और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी कभी अपने पिताजी से नहीं बनी, बल्कि मेरी माँ से बनी। मेरी माँ इतनी बहादुर थी कि उसका थोड़ा अंश मेरे भीतर है। मैं अगर कोई सही बात न कह पाऊं तो रात को मुझे नींद नहीं आती है। माँ के बारे में सुषमा जी ने कहा, जरूर आठ दिन में आधा घंटे इस पर बोला जाए। यह जो त्रासदी है, बीमारी है, यह विकट बीमारी है। सबसे ज्यादा जो गरीब है, उसकी माँ, बहन, बेटी सबसे ज्यादा सताई जाती है। जो गरीब है और जो बिलकुल लाचार और बेबस जातियां हैं उनकी माँ, बहन, बेटी तो मानी ही नहीं जाती है वे सबके लिए भोग का सामान बनती हैं। उनमें सुंदर बेटी होना गुनाह है हम शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले हमें मालूम है। बराबरी की बात दिल्ली में होती है। दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए तो यह बात जरूर है कि इसकी चर्चा ज्यादा हो गई। अब यह चर्चा इतनी ज्यादा हो गई कि देश में हजारों साल से यह बीमारी चल रही है। लेकिन अब टीवी वालों को यह तमाशा मिल गया और वे इसे ही दिखा रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कोई बहस भी तो चलाओगे या सिर्फ यही दिखाते रहोगे। जो बच्चियां हैं, उनके साथ तो दुनिया के किसी समाज में बलात्कार नहीं होता है। गजब है हमारा देश, हम इसमें अव्वल है। तीन साल, दो साल, चार साल, छः साल की बच्चियों से दुनिया के किस इलाके में बलात्कार होता है? इसलिए मैं ज्यादा नहीं बालूंगा और आप दोनों-तीनों की बातों को समेट कर कहना चाहता हूं कि आपका दर्द जितना है, उससे कम दर्द हमारा नहीं है।

13.00 hrs.

जो लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बात को जरूर उछाला है, बात को बढ़ाया है लेकिन ऐसी बातों से बना नहीं। ऐसी बातें कई बार उछली हैं। द्रौपदी ने तो महाभारत कराया, लेकिन न्याय कहां धरती पर उतरा, बराबरी कहां आयी? द्रौपदी का क्या दोष था? पांच पति उस ने नहीं रखे थे, अर्जुन की मां ने ऐसा कहा था। लेकिन द्रौपदी ने किसी भी जगह कॉप्रोमाइज नहीं किया, युद्ध करा के रही। अपने बाल युद्ध के बाद बांधे।

महोदया, मैं आप से एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि सुषमा जी की बात बिल्कुल पक्की और दुरूस्त है। अगर महीने भर सदन चले तो आप एक दिन एक घंटा

जरूर बहस करें। भले ही दो-तिहाई महिला बोलें लेकिन एक-तिहाई हम आदमियों को भी अवसर मिले क्योंकि हम भी मां वाले लोग हैं, बहन वाले लोग हैं। उस के दर्द और तक़लीफ में हम न शरीक़ हों तो फिर लानत है जिन्दगी पर। मां ने ही जन्म दिया है, मां ने ही शरीर दिया है। उसे बचाना है और उसे बढ़ाना है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं सुषमा जी, गिरिजा जी, सरोज जी और हरसिमरत जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, मैं श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): अध्यक्ष जी, आप ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज के दिन पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में महिला दिवस पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चर्चा सिर्फ़ साल में एक दिन न हो करके उनके लिए काम करने की जरूरत है। आज हर स्तर पर महिला के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उनके साथ जुल्म-ज्यादती हो रही है जबकि हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, अगर उन्हें हम देखें तो इसी देश में महिला को सरस्वती का अवतार कहा गया, महिला को लक्ष्मी का अवतार कहा गया, महिला को दुर्गा का अवतार कहा गया। दूसरी तरफ, हम महिलाओं को सिर्फ़ एक मनोरंजन का साधन समझते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदया, आज मैं यह कहना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने बच्चियों की भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाया था क्योंकि आजकल मशीनें यह बता देती हैं कि गर्भवती औरत के पेट में बच्ची है या बच्चा। अगर बच्ची है तो उसकी भ्रूण हत्या करा देते हैं और बच्चा है तो मिठाई खाते घर चले आते हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं, अधिकांशतः इनके यहां ऐसा होता है। इसलिए हर समाज, हर धर्म और मज़हब के गरीबों के लिए उन्होंने एक व्यवस्था दी कि जिस दिन किसी भी गरीब के घर कोई लड़की पैदा होगी तो उस के नाम से बीस हजार रुपया अठारह वर्षों के लिए फिक्स हो जाएगा। जब वह लड़की अठारह वर्ष में बालिग हो जाएगी, शादी करने लायक हो जाएगी तो अपने मां-बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। उतने पैसे में गरीब अपने बच्चियों की शादी कर लेगा। इसी तरह से, उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए भी किया गया। उन्होंने हाई स्कूल आज पास कर लिया तो कल पढ़ाई छुड़ा दी जाती है लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जो लड़की हाई स्कूल पास कर के ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेगी, उस को पन्द्रह हजार रुपया और एक मोटर साईकिल दी जाएगी। जब एक साल के बाद वह बारहवीं कक्षा में जाएगी तो उस को दस हजार रुपया दिया जाएगा ताकि वह अपने मां-बाप के ऊपर निर्भर न रह कर अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सके। इसलिए आज केवल चर्चा ही नहीं करना है, बल्कि आज हमें इन के लिए इस तरह की योजनाएं बनाना है जिससे ये आत्मनिर्भर हो सकें।

हम सशक्तीकरण की बात तो करते हैं लेकिन आज जो घटनाएं घट रही हैं चाहे वे दिल्ली में घटीं, चाहे देश के किसी भी कोने में घटीं, यह शर्मनाक घटना है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। इस के विरूद्ध कड़े कदम उठाने चाहिए। इन के आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों हमारी क्लास में लड़कों से ज्यादा लड़कियां थीं और वे पढ़ने में भी सबसे ज्यादा तेज थीं। आज अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए तो वह किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। आज साक्षात आप हमारे सामने स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हैं। हमारी प्रतिपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी हैं और तमाम यहां महिला मंत्री हैं। अभी यहां श्रीमती सुशीला सरोज जी बोल रही थीं। हमारी पार्टी की चार महिलाएं हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव बनाएं कि सरकार इसके लिए कुछ नीति एवं नियम बनाए, जिससे महिलाओं के ऊपर जो जुल्म एवं ज्यादती हो रही है, वह कम हो, उनका शोषण कम हो। उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले।

अध्यक्ष महोदया, इसी बात के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Madam Speaker, please accept sincere appreciation from my Party towards your laudable efforts for empowering women. Today is a very special day for women all over the world.

Nahi samanya naari

jodi rakho parshe more sankate,

sansaye sammati dao jodi kathina brate.

Thus spoke Chitrangada, the warrior princess of Manipur, through our Nobel Laureate poet Rabindranath Tagore. What did Chitrangada say?

"I seek to tread the meadows of this universe by your side,

I seek to tread the universe by your side in dream and reality,

With equal right and responsibility,

During peace and strife, with due respect."

That is the idea of every woman today in our nation, in the world. We want respect. We want rights along with

responsibility. And today's woman has proved it. Eighth of March we celebrate as International Women's Day, in keeping with the struggle and success of Clara Zetkins who demanded equal rights, equal wages for equal work for women and she succeeded.

My appeal to you, my appeal to this House, my appeal to the whole universe is: let us celebrate womanhood throughout the year. Let us respect women throughout the year. Let us treat women as equal to the men folk. I appeal to the collective consciousness of the nation to respect women.

The strangest part is that we forget that the universe will stop, societies will stop and the nations will stop functioning if women do not perform a particular duty, which men cannot. Men can never become mothers: women can. The women are mothers. वे बच्चे को पाल-पोस कर बडा करते हैं। चूल्हा-चक्की करते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बोझ उठाते हैं और बडा करके वह जिस सोसायटी को बनाती है, वही सोसायटी उसको काटने को दौड़ती है।

This is shameful. The collective consciousness of the society should treat women as their own.

To quote another poet:

Vidushi Maitreyi, Khana Leelavati,

Sati Savitri, Kanya Arundhati

Bahu Beerbala, Birendra Prasuti,

Amra taderi santati.

Anale dahiya, rakhe ja ra maan,

Pati putra saathe sukhe tyaje praan.

Amra taderi santati.

Think of Maharani Padmini. She gave up her life to safeguard the respect of the nation, of the clan she was fighting for. Think of Savitri who fought to get back her husband. You have to remember all these who fought for the prestige, for the valour, for the respect. Today these women are not being seriously taken care of. It is shameful that today in our country when every single girl and woman speaks in the voice of Chitrangadha, she is not taken seriously; she is not even allowed to live. She speaks in the same words before and after birth, but she is not even allowed to born. Today in our country, we are having female foeticide every day. We have to resolute from this august House today to mete out severe punishment to those erring-specialists who kill these little foetuses in utero. But the strangest part is, at a particular time when the female foeticide takes place, the external phenotype of the baby is not even formed. So, there are some erring-doctors, specialist out there, fooling the innocent women using some machines, but actually at that particular age – 12 weeks or 14 weeks or 16 weeks of pregnancy – the phenotype, that is, whether it is a boy or a girl, is not even discernable. So, this should be taken up very seriously. We cannot kill the girl child before she is born and we cannot kill the girl child after she is born, because even after she is born, she is exposed to torture. She is exposed to mal-nutrition – 70 per cent of our rural women suffer from anaemia. The only answer to treat this anaemia is to give little bit of grams, little bit of iron and folic acid. But she is not getting that. She is working. To keep her family hearth burning, she herself is burning in the hearth and nobody is taking cognizance of that fact.

We have to seriously request the Ministry of Health to take care of this female foeticide. We are nowhere near meeting the MDG-5, which we were supposed to meet by 2015, to bring down the maternal mortality rate, to bring down anaemia in women – to address the maternal mortality rate so that we do not lose our mothers in child birth. They are trying to perform a physiological function of child birth, but we have failed there.

After birth, when a little girl is growing up every day, right from the age of two years, she is suffering at the hands of the society – voyeurism, stalking. They are abusing; they are hurling abuses at her; they are pulling her by her *dupatta.* We have seen the fight that Nirbhaya fought – what a fight! We salute from this House today, not only the Nirbhaya who lost her life, but all the Nirbhayas, who fight silently in every village, every town, every road, every school, every college and every office. Nirbhayas are fighting and we have to stand by them. We have to have a very strict rule; we have to have a very strict law. We know that we have the Ordinance; we know that we have an Amendment Bill waiting, in this regard. But the collective conscience of the nation has to stand up and stand by Nirbhaya in her battle.

From this august House today, during this discussion I would also like to extend my gratitude to the hon. Chief Minister of

West Bengal, Kumari Mamata Banerjee for declaring today, the Kanyashree Scheme by which she will be paying girl child of the BPL families, for her education, for opening the first womens' university of West Bengel.

We also have to rethink about the Armed Forces Special Powers Act, which subjects women in particular districts of particular States of this country, to shame. We also have to take care of all the women who are suffering from neglect and malnutrition; we have to give them equality..

MADAM SPEAKER: Shrimati Susmita Bauri. Kindly be brief; I have a very long list of speakers. Please be very brief.

श्रीमती सुस्मिता बाउरी : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर आपको, इधर जो सारी महिला सांसद हैं और विश्व के सारी महिलाओं को मैं बधाई देती हूं। पहले कुछ लोगों ने जो बताया है, मैं भी उनकी बात करना चाहती हूं - क्लारा जेटिकन जी। हम लोग अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन, वर्ष 1908 में क्लारा जेटकिन ने इसकी शुरुआत की थी। तब उस आंदोलन में 15 हजार महिलाएं शामिल हुई थीं और यह संकल्प लिया गया था कि हम लोगों को काम करना है। उस समय काम करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सारा दिन काम करना पड़ता था। उस समय उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी तभी से आज यह डे मनाया जा रहा है। बहुत दिन बीत गए लेकिन आज भी देश में महिलाओं की हालत ठीक नहीं है। सारे मेम्बर्स ने इसके बारे में अच्छी तरह से बताया है और मैं भी बता रही हूं, चाहे सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति कहीं भी महिलाएं ठीक से नहीं हैं। हम लोग जानते हैं कि जब एक बच्ची का जन्म होता है तो बहुत क्रिटिसाइज होता है और उसे हम सभी लोग जानते हैं। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। सरकार का कानून भी है लेकिन वह काम हो रहा है, डायग्नोस्टिक सेन्टर में वह काम हो रहा है। इसलिए आज महिला-पुरुष का अनुपात इतना कम आ गया है। 1000 पुरुष हैं तो 970 महिलाएं है। किसी-किसी स्टेट, जैसे राजस्थान और हरियाणा में यह अनुपात और भी घट गया है। जब हम लोग वर्ष 2025 में पहुंचेंगे तो ऐसा होगा कि एक लड़के को शादी करने के लिए एक लड़की नहीं मिलेगी। ऐसा समय आ रहा है। इसलिए बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि समाज को ठीक करना है तो समाज में महिलाएं भी होनी चाहिए। समाज में हमारा आधा हिस्सा है। लेकिन, हम लोग उस जगह से अभी बहुत दूर हैं।

हम लोग देखते हैं कि महिला मालनूट्रिशियंस का भी शिकार है। वह खाना खाती नहीं है। वह सब को खाना खिलाती है। अभी महंगाई भी बढ़ गई है। हम लोग गैस के लिए चिल्ला रहे थे। यह मिलना चाहिए। सरकार से मैं भी मांग करती हूं कि मालनूट्रिशियंस तभी बंद होगा जब हम बच्चे को अच्छे से खिला सकेंगे। शिक्षा में भी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है। केरल और मिजोरम में तो महिलओं की साक्षरता दर अच्छी है, उधर आर्थिक स्थिति भी ठीक है। वहां वे लोग आत्मनिर्भर हैं। लेकिन, जब हम अन्य राज्यों पर गौर करते हैं तो वहां हालत बहुत ही खराब है। हम लोगों का तो ग्रुप है लेकिन ग्रुप के जरिए उन लोगों को उतना कुछ नहीं मिलता है। जैसे, वे घर में कुछ बनाती हैं लेकिन उसे कहां बेचेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कीम्स हैं लेकिन उनका इम्पलिमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। हम लोग आईसीडीएस सेन्टर पर गौर करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। मालनूट्रिशियंस की समस्या बहुत बड़ी है। अगर स्कीम्स को ठीक से लागू करेंगे, तभी यह कम होगा और हमारा समाज स्वस्थ होगा। माननीय मंत्री जी बैठी हैं। अभी उन्होंने पैसा भी बढ़ाया है। उसको थोड़ा अच्छे-से चलाना है।

आशा वर्कर्स तो हैं। वे लोग काम करती हैं। जनसंख्या के मामले में भी हमारा भारत आगे है। ""आशा"" महिलाएं काम करती हैं। एक बच्चे का जन्म होगा तो उन्हें तीन सौ रुपया मिलेगा। वे लोग कहते हैं कि आप दो बच्चा करोगे तो 600 रुपये मिलेंगे। वे लोग ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा बच्चे के बारे में कहेंगे। ऐसी बात आ गई, इसको आपको देखना है।

महिला रिजर्वेशन जो बिल राज्य सभा में पारित हो कर पड़ा हुआ है उसको आप यहां तुंत लाइए। क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तो महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात बोलते रहते हैं।...(<u>व्यवधान</u>) लेकिन वास्तविक में यह नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी: इसे जल्दी लाना चाहिए। दूसरे बिल पास हो जाते हैं। एक और बात है जिसे मैं कहना चाहती हूं। दिल्ली में एक घटना घटी है। हम लोग निर्भया का नाम ले रहे हैं।...(<u>व्यवधान</u>) ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में घटी हैं। जस्टिस भार्गव कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसको आप लोग डाइलूट कर रहे हैं। उसकी पूरे सिफारिशों को आप लीजिए। यह मेरा आग्रह है। तभी, हम लोगों को अच्छा समाज मिलेगा, उन्हें इज्जत मिलेगी, नहीं तो कड़ा से कड़ा कानून रह जाएगा, महिलाओं के लिए कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन उनसे सजा कितने लोगों को मिलती है। यह मैं जानना चाहती हूं। सब को तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा और सब कानून का लाभ उठा सकेंगे हैं। ...(<u>व्यवधान</u>) कई राज्यों में महिलाओं के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए स्टेट की गवर्नमेंट्स, जैसा ये बता रहे थे कि ये स्कीम्स ले रही हैं लेकिन इज्जत भी देना चाहिए तभी स्कीम्स इम्पलिमेंट हो पाएगी और ये सही से जिंदगी जी सकती हैं। ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): मैडम, हम आपको महिला दिवस पर बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदया : बहुत धन्यवाद।

श्री गुरुदास दासगुप्त : हम आपको बधाई देते हैं, सुषमा जी को बधाई देते हैं, सोनिया जी को बधाई देना चाहते थे लेकिन वे अभी यहां नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। हमारे हाउस में आज तीन पर्सनैलिटीज़ हैं who have a dominating influence. लेकिन हम एक बात शर्म के साथ बोलना चाहते हैं that we are living in a man-dominated society. Please accept it. This man dominated society is reflected in political, economic and social exploitation of the womanhood of the country...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : क्या कर रहे हैं? आप बैठ जाइए।

â€¦(<u>व्यवधान</u>)

MADAM SPEAKER: Please do not do all this.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, it is neither fair nor honourable to politicalize such an important occasion.

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : हम मानते हैं कि हमारे पोलित ब्यूरो में एक वूमेन है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You do not have to react. आप जिस विषय पर बोल रहे थे, बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैडम, सवाल क्या है। सवाल है rape is not the only issue. Physical assault is not the only issue. The basic issue is that woman of the country is being exploited in all spheres of life. महिलाओं को उनके काम का दाम नहीं मिलता। महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। महिलाओं के लिए मेटरनिटी बैनीफिट नहीं है। महिलाओं के लिए काम-काज की जगह में सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। They are not safe in Delhi alone. They are not safe anywhere in the country. They are not safe in their working place. साथ ही यह भी कहते हैं unfortunately woman has been made a commercial object by the society. आप न्यूज़ पेपर देखिए half-clad woman is being shown. आप टेलीविजन देखिए half-clad woman is there. क्रिकेट मैच देखिए, 20-20 क्रिकेट मैच, चियर गर्ल्स हैं। At least, stop this. Let us ask the Government to stop, at least, this. What I am saying is that freedom of the country for 63 years has not given freedom to the woman to live. We believe there should be a movement by the women. There should be awakening of the women and we must support that. I am ashamed to say that this male dominated society is endangering the existence of life.

Nobody has said as to what is the proportion of women in our country. There is adverse sex ratio. The number of women is declining in the country. Women are less in number in this country than that of men. This is the consequence of the shameful social atrocity and economic exploitation in the country.

Therefore, let us not make this day a ritual. It has become a ritual. Look at the House. This day must be a day for dedicating ourselves to the struggle for the liberalization of women from poverty, from exploitation and from physical assault. Only then, this day can be fruitful for our discussion in the Parliament.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to participate on a subject which initiated an effort to give some kind of message to the country.

As you said, on this International Women's Day, we have to take some pledge to see that good education is given to female. They are empowered and are lifted in the society. I come from a District called Krishnagiri which was formerly called Dharmapuri. In those days, when female infants are born, they used to feed poisoned milk resulting in the death of those female children. That kind of a system prevailed in my district in those days. As Shri Dasgupta has said, female population is going down because such kind of a thinking is there among the people. When female babies were born, they want to kill them which used to happen in those days. To emancipate this kind of a problem, our honourable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Amma, introduced the Cradle Baby Scheme to save female children. It was inaugurated in Dharmapuri itself which I want to mention here. The scheme is important because it was introduced to save the female babies.

As he said, we have to give good education to them. For that purpose, as soon as our Chief Minister assumed office for the third time, she introduced many schemes to help women. For example, free education is given to girls to study in post graduation courses in colleges as well as to encourage them for higher education courses. When their marriage takes place, the Government has announced a scheme to give four grams of gold for purchasing *mangal sutra* and Rs. 25,000 as cash towards marriage expenses. Apart from that, if the girl is a graduate, she is given Rs. 50,000 as a grant. There are many such schemes which have been introduced.

Many hon. Members spoke about Women Reservation Bill in this House. I am very proud to say that when I was the Minister of Law in 1998-99, as per the advice of my leader, Dr. Jayalalitha, I introduced or piloted the Bill in this very House. At that time, hon. Vajpayee was the Prime Minister and I had introduced it during his period. That Bill is still pending. The

House must seriously think about it and that Bill has to be passed to give ample opportunities to women. It is a very important point which I am requesting in this House.

Apart from that, to empower women, they should participate in politics also. I am very proud to say that our leader is a woman. She is taking bold steps in maintaining law and order in our State.

In the local bodies in our State also, out of ten Corporations, at least six are headed by women as Mayors. Therefore, in that way, our Party is encouraging women by giving them more opportunities in participating administration also.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Madam, on this wonderful occasion of the celebration of International Women's Day, I, first of all, wish you Madam Speaker, UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi and Leader of Opposition, Shrimati Sushma Swaraj and all women Members of this august House and each woman in the world.

Madam, I take this opportunity to congratulate and appreciate the Government of India for giving more opportunities for women in all fields including politics. Every year, there is a strong request to provide 33 per cent reservation for women while contesting elections, be it Parliament election or Assembly election. On behalf of women community, I urge the Government to fulfill this genuine demand. I urge the Government to fulfill the demand by passing the Women Reservation Bill during this Session itself. The entire women community of India will ever be grateful to the Union Government of India if the Bill is passed in Lok Sabha.

The former Chief Minister of Tamil Nadu, Kalaignar, gives importance to women of Tamil Nadu by providing record rights to women to move out from home to public places. Our Indian women prepare special dishes for men but do not get equal rights.

In recent times, attacks and harassment of women are on rise and the people are committing the same mistake. In order to prevent physical harassment of women, the Government should instruct all the State Governments and Department of Police to pay special attention by taking action on complaints given by women so that women will feel free to come out in the public.

The Father of our Nation, Mahatma Gandhi fought and dreamt for the freedom of women in Independent India. Every one in this House must take a resolution to grant full freedom to women for their empowerment and growth in their day-to-day activities.

Madam, I once again wish the whole House on the occasion of International Women's Day.

MADAM SPEAKER:

Shri Thol Thirumaavalavan may be allowed to associate with Shrimati Helen Davidson.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): धन्यवाद, माननीया अध्यक्ष जी, आज महिला दिवस का दिन है। महिलाओं ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष किया है, कहीं-न-कहीं उस संघर्ष को पहचान देने वाला आज का दिन है। आपने बिल्कुल सही बात कही, माननीया सुषमा जी ने और सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। आपने जो बात कही कि केवल जो यहां-वहां हम थोड़ी-सी महिलाएं दिखती हैं, वे महिला नहीं हैं, खेत में काम करने वाली महिलाएं और अपने घर में बैठी महिलाएं, कहीं-न-कहीं ये सब नारी शक्ति को एक पहचान देने की बात है। कभी-कभी मैं सोचती हूं कि नारी शब्द में ही वह बात है- न अरि, किसी की शत्रु नहीं है। तो नहीं किसी की अरि, वह है भारतीय नारी, फिर भी युगों-युगों से रही ताड़न की अधिकारी। यह प्रश्न आज सबके सामने है कि फिर भी ऐसी स्थिति क्यों है? जब हम महिला दिवस की या महिला उत्थान की बात करते हैं, तो किसी को ऊँगली पकड़कर लाना नहीं है। उसमें वह स्वाभिमान जगाना है, उसे एक आत्मविश्वास देना है, उसे एक पहचान देनी है कि वह आगे आने के लिए खुद को पहचाने। वास्तव में, आज भी वे दहलीज़ पर खड़ी हैं, आगे जरूर कुछ महिलाएं आयी हैं। लेकिन, आज भारत की स्त्री दहलीज़ पर खड़ी होकर बाहर देख रही है। अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही है। वह पहचान उसे देना है। अगर वह छोटा-मोटा काम भी करती है, तो उसमें आत्मविश्वास भरना है।

महोदया, मुझे याद है, जब हमारी सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कृष्णा जी भी जानती हैं, हमने एक स्त्री-शक्ति पुरस्कार की स्थापना की थी। उस समय मुझे याद है कि उस स्त्री-शक्ति पुरस्कार में तमिलनाडु की एक सामान्य महिला थी। वह खेतिहर मज़दूरों के लिए संघर्ष करने वाली महिला थी। उसे ढूंढ करके पुरस्कार दिया गया था कि वह अच्छा काम कर रही है। जब वह महिला पुरस्कार लेने आयी, तो उसके पके हुए बाल, मेहनत किया हुआ दुबला शरीर, पाँव में खाली स्लीपर थे। इस प्रकार जब वह महिला पुरस्कार लेने आयी, तो इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टेज पर उस महिला को झुककर प्रणाम किया। यह हमारे देश का चरित्र है। आज कहीं-न-कहीं इसी चरित्र को कायम करने की बात है। मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहकर, बस इतना ही

कहना चाहूंगी कि आज स्त्री बाहर आ रही है, अपनी दुर्बलता को दूर करके बाहर आ रही है, दुर्बलता को झटक-फटक कर, शिक्षा-दीक्षा, सामर्थ्य समेटकर ये वह कर रही है, अग्रसर हो रही नारी, विश्व के कैनवास पर अपने सामर्थ्य की पहचान बनाने। जैसा सुषमा जी ने कहा कि इतना ही करना है कि उसे सुरक्षा देना है। वह ज्यादा कुछ नहीं चाहती है। मैं आपकी बात की पुष्टि करती हूँ, सुषमा जी की बात की पुष्टि करती हूँ और सदन को नहीं, इस देश के सभी लोगों को, इसमें स्त्री और पुरुष में अलग भाव नहीं करती हूँ। लेकिन, समाज में एक वातावरण चाहिए। क्या चाहती है स्त्री? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि

" नहीं चाहती वह नरम कालीन,

लेकिन काँटे तो मत बिछाओ।

बनाएगी वह रास्ता खुद अपना,

लेकिन बीच रास्ते में न छेड़ो, न सताओ। "

यही वह नारी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहती है। यह अगर बन जाए, तो हम बोलते हैं कि भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही मुझे कहना है।

MADAM SPEAKER: Shrimati Krishna Tirath

...(*Interruptions*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): अध्यक्ष महोदया, आज के दिन...(व्यवधान)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam, I want to say a few words....(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, are you yielding?

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: She started speaking. She is not concluding.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I have an impression that you will give me a chance. I am sorry.

MADAM SPEAKER: There are other Members to speak. वह समाप्त नहीं कर रही हैं, इंटरवीन कर रही हैं। It is not ending.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Thank you very much.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, आज ही महत्वपूर्ण दिन है। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सरकार की ओर से और अपनी ओर से, जैसा आप सभी ने कहा है, अपने देश एवं विदेशों में रहने वाली महिलाओं को मुबारकवाद देती हूं। उनकी शक्ति को पहचाना है, शक्ति को जाना है। यहां माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, उनमें उनके मन का दर्द, महिला का दर्द उभरकर आया है। मुझे यह मालूम है कि देश की आजादी के बाद हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया और चुनने के लिए आजादी दी गयी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में उन्हें बराबर का अधिकार दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस देश में हिंसक प्रवृत्तियों को दूर करके अहिंसा को लेकर कोई चल सकता है, तो वह नारी शक्ति है, जो अहिंसा को लेकर आगे बढ़ सकती है। इसीलिए इस सरकार में मैंने अपने मंत्रालय से अहिंसा मैसेंजर क्रिएट किए हैं। हमारी 1.5 मिलियन निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज में, लोकल बॉडीज में, जो देश में अहिंसा मैसेंजर बनकर अलग-अलग गांव स्तर पर, ट्राइबल एरियाज में, अनुसूचित जाति-जनजाति एरियाज में जाकर महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा में अग्रसर रहेंगी महिलाएं। राजीव गांधी जी ने 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज में दिया, लोकल बॉडीज में मिला और अब बहुत सारे राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने से महिलाएं आगे उभरकर आई हैं। गुरूदास दासगुप्ता जी चले गए, उन्होंने कहा था कि हमारा समाज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रहा है और मैं इसका उदाहरण बताती हूं। जितने भी हमारे शब्द हैं, अगर हम कहते हैं "फीमेल", तो "मेल " उसमें आलरेडी समाहित है। अगर हम कहते हैं "वीमेन", तो "मेन " उसमें समाहित है। अगर कहते हैं "लेडी ", तो "लेड " उसमें समाहित है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि महिलाओं में मेल समाहित है, वह ताकत उस महिला में है कि वह सबको समाहित करके चलना चाहती है।

फीमेल फोएटीसाइड की जब बात आई, तो मैंने एक मैसेज दिया है - "लड़की नहीं है, तो संसार नहीं है। " आप खुद चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए कि अगर लड़की पैदा नहीं होगी, तो संसार नहीं बनेगा, संसार बन नहीं सकता है। इसीलिए "No girl, no world" का स्लोगन लेकर पूरे देश भर में, हर जिले में हमने नेशनल मिशन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन शुरू किया है। मैं समझती हूं कि इस प्रोग्राम को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आज हम सबला की बात करते हैं, नारियां सबला हैं। हमने एक स्कीम शुरू की थी - राजीव गांधी एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, सबला। यह अभी पायलट स्कीम है। देश भर में लाखों सबला निकलकर आई हैं, जिनमें यह शक्ति आई है कि वे अपनी बात को बोल सकती हैं, अपने दर्द-दुख को बता सकती हैं, लेकिन आज आदमी का माइन्ड सेट चेंज करने की जरूरत है। मैंने एक विचार और किया है, जिसे मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हम सक्षम स्कीम लेकर आना चाहते हैं - राजीव गांधी एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट ब्वाय, जिसका नाम रखेंगे - सक्षम। उन लड़कों को, जो अभी बच्चे हैं, जिनके चित्त में क्या सोच घरवाले डालते हैं, पुरानी परम्परा, जो मेल डोमिनेशन की बात करते हैं, जो हमारा पुरूष प्रधान देश है। इसमें घर में कभी-कभी उसके साथ भेद होता है। लड़की को दूध नहीं मिलेगा, लड़के को दूध मिलेगा। लड़का काम नहीं करेगा,

लड़की काम करेगी, इस बात को बदलना होगा और इसके लिए हम महिलाओं को भी चिंतन करना होगा। इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। देश भर की समस्त महिलाएं, चाहे वे शहरों में रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, दूरदराज के ट्राइबल एरियाज में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं या कहीं भी हैं, उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हमें महिला को सशक्त करने के लिए महिला की ही जरूरत है। जब हम महिलाओं के बारे में फीमेल फीटिसाइड की बात करते हैं, उस महिला को बाकायदा मुकाबला करना चाहिए कि यह चीज नहीं होगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। कई बार मैंने देखा कि उसके घर के जो मेल मेम्बर्स हैं या उसकी सास ही है, वह भी एक महिला है, उन्हें भी आत्मचिन्तन और आत्ममन्थन करना पड़ेगा, महिला को सशक्त बनाने के लिए। इसलिए हम सबको एक होकर इस काम को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमने वर्किंग प्लेस में काम करने वाली महिलाओं के लिए जो प्रोटेक्शन आफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल है, दोनों सदनों ने बहुत अच्छी तरह से इसे पास किया है। कामकाजी महिलाएं चाहे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में हों, जहां-जहां भी वे काम करती हैं, उन्हें इस एक्ट के माध्यम, जो हम बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन जो हमने नेशनल मिशन एम्पावरमेंट आफ विमेन 2010 में शुरू किया है, उसके माध्यम से हर जिले में हमने एक-एक परफार्मा दिया है कि आज महिला की क्या स्थिति है और हम उसे ट्रेनिंग देकर ट्रेंड करते हैं। उसे घर की ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, छः महीने के बाद उसका क्या स्तर बढ़ा है, इस बात पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार भी इसमें सतर्क रहेगी।

मैं आपके माध्यम से पुनः आप सभी को यह जो वर्ष है, यह महिला की सुरक्षा के लिए डेडिकेट करें और हम सब महिला और पुरूष मिलकर उसे सुरक्षित माहौल दें, उसे पलने दें, बढ़ने दें और अपने कदमों पर खड़ा होकर इस देश का अच्छा नागरिक बनने दें।

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Hon. Speaker, you have given me the opportunity to participate in this vital issue. You have given opportunity to all of us to apply our mind to think as to how the atmosphere has been so polluted today, after the Delhi Gang rape, which has made the entire international community to express it as a shameful act. What this House has to do, and what steps the Government has to take in this aspect, is a major issue. I don't want to go into the details of the Ordinance that has been promulgated. But at the same time, I would like to state that the responsibility of the Central Government and State Government is more important on this occasion. In my humble opinion, I think, the House should know as to what steps some of the States have taken. I was very closely watching the debate and the speeches of the hon. Leader of the Opposition and several sisters on the other side.

Madam Speaker, I had been in power in Karnataka for a short period of 18 months when we had given equal rights to women; we had given reservation of 50 per cent to the teaching staff, starting from the primary school up to the university level. I must recall that we wanted to give reservation in the very same House when I was heading the Coalition Government – I have myself moved Constitutional (Amendment) Bill for giving 33.3 per cent reservation for women in Legislatures. Not only that, all the jobs in the Government, starting from constable - in all direct recruitments made by the Government - we have given 33 per cent reservation for women. We have extended all educational benefits to the tune of 33.3 per cent. I am not going to satisfy with the steps we have taken in those 18 months. I have also introduced a scheme for girl child. Our Government deposited Rs.10,000 in her name the day she was born; and at the time of marriage, it will be Rs.3 lakh or Rs.3.50 lakh, according to the rate of interest; and the same should be utilized for the marriage of that girl.

Today, one of the most important things which I would like to bring to the notice of the House, through you, Madam, is about the advertisements with sexual connotations, which spoil the mind of young boys and girls. This is being done for the sake of earning the revenue. The Information Department is also handling this. It is the most important thing. So, my humble opinion is that somehow it should prevail that not to demonstrate such types of issues in the electronic media or in the advertisement which is going to spoil the minds of young boys.

It is very much essential and the need of the hour to stop such incidents of rape whether at the State level or at the Central level. I am not going to discriminate. For the first time we are seeing such types of shameful acts. This was one of the worst years where we are facing a situation where the entire country has witnessed such types of shameful acts, particularly, the capital city of Delhi.

MADAM SPEAKER: Please conclude. Thank you so much.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: There is a global reaction to this. In this connection, let the Government take any radical steps for which we are all going to cooperate. Madam, you have given us an opportunity to apply our minds to cooperate with the Government and to extend all our support whether for reservation or for any radical steps which the House is going to take to provide equal rights to women and not to have any type of further sexual harassment to my sisters and daughters.

Madam, our philosophy is *Matra Devo Bhava*. That is our basic philosophy. We will remember that mother is God; she has given birth to us. It is very important and essential thing to see how further we move to protect the interests of our sisters and daughters. It is essential to pledge ourselves today on this International Women's Day.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, नेता विपक्ष सहित सभी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने उद्गार व्यक्त किये हैं, हम उनके समर्थन में हैं। महोदय, शास्त्र और अपनी संस्कृति के मुताबिक मैं देख रहा हूं कि "यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता।" देवताओं के मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर

पोर्टफोलियो महिलाओं को ही दिया गया। दुर्गा जी शक्ति की देवी, लक्ष्मी जी धन की देवी और सरस्वती विद्या की देवी के रूप में पूज्य हैं। पुराने जमाने से हमने नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज से ढाई हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध वैशाली में आये। उन्होंने कहा था कि "वज्जीनाम शत अहरिहान्याधम" seven virtues of Vajjiyan leading not to decline. जिस समाज में सात धर्मों का पालन होगा, वह समाज तरक्की में जाएगा, उसकी अवनति नहीं होगी। सात धर्म में एक है कि जिस समाज में महिला और बच्चे सुरक्षित होंगे, वह समाज तरक्की करेगा। नारी सशक्तिकरण आज लोग हमें सिखा रहे हैं लेकिन नारी सशक्तिकरण वैशाली में शुरु हुआ था। भगवान बुद्ध के समय बुद्धिज्म में नारी को बराबरी का अधिकार और प्रवेश मिला था। अभी मैं देखता हूं कि तमाम महत्वपूर्ण और ताकतवर पदों पर महिलाएं विद्यमान हैं, फिर भी महिलाओं की दुर्दशा है। कारण क्या है और कैसे इसका समाधान होगा? लोग भाषण में बता रहे थे कि इसका कारण है पुरुष प्रधान समाज और वातावरण। जन्म से लेकर महिला को दबाया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है, बड़े होने पर पढ़ाई में बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, घर में दासी की तरह बर्ताव और अबला-अबला कहकर उसे दबाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है और दुनिया भर के समाजशास्त्री, ज्ञानी, ध्यानी, वैज्ञानिक, सभी का कहना है कि नारी में नर से कम क्षमता नहीं है। उन्हें दबाकर रखा गया है। कन्यादान, पुरुषदान, गौदान, स्वर्णदान आदि हमारे समाज में किया जाता है। हमारे देश में दहेज प्रथा भी बहुत बड़ी बुराई है। इन सामाजिक बुराइयों का मेरी समझ में इलाज कृंति से ही हो सकता है। जैसे अमीर गरीब में भेद समाप्त करना चाहिए, ऊंच नीच में भेद समाप्त करना चाहिए, बड़े छोटे में भेद खत्म करना चाहिए, काले गोरे का भेद खत्म करना चाहिए, उसी तरह से नर नारी में समता होनी चाहिए और इनमें भेद समाप्त होना चाहिए। हिंदुस्तान का माथा दुनिया के देशों में नीचे हुआ जब दिल्ली की घटना घटित हुई। लोगों ने कहा कि फांसी का कानून बनाओ। लोगों ने नारे लगाए कि हमें न्याय चाहिए। सारा देश गुस्से से भर गया। उसके बाद भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। फिगर्स बताती हैं कि कोई असर नहीं हुआ। हमने कैसे समाज को बनाया? हमें ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जिसमें नर नारी समता हो और उन्हें बराबरी का अधिकार देना चाहिए। महिलाओं पर जो जुल्म हो रहे हैं जैसे छेड़खानी, विश्वासघात, बलात्कार। ये तीन अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। जब तक ये जुल्म जड़ से समाप्त नहीं होंगे, जब तक समाज में इस तरह की सोच विकसित नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान दुनिया के सामने अपना माथा ऊंचा नहीं कर सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संकल्प लेने की जरूरत है और नर नारी समता वाली कृंति लानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - जिंदाबाद।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Madam Speaker, at the outset, I would like to congratulate the hon. Minister Krishna *ji*, hon. Leader of Opposition Sushma *ji*, our Chief Minister Mamata Banerjee, our UPA Chairperson Sonia *ji*, all the women across the world and my mother also.

Today, the 8th March, is a special day for women, that is the International Women's Day. It is an occasion not only to celebrate but also to review as to how women face problems to assert for their place in the world and to ensure equality. This year, the focus is on violence against women. Women have been at the receiving end for ages. We often talk of women empowerment, equality of women and what not. But, what is the reality?

Women constitute 48 per cent of our country's population. If we put women and children together, they constitute nearly 70 per cent of our country's population. I would request all the hon. Members, cutting across the party line, to introspect about the improvement in the status of women in the last decade or so.

Discrimination against women has been there for centuries. In one way, it reflects our social values and ethics. A lot of introspection needs to be done on rendering gender justice in real sense of the term. There is a need to change the mindset of man. As is said somewhere correctly, we need to educate man to empower woman. If we want to remove subjugation, suppression and discrimination against women, we need to tighten the laws and make them harsh. Penalties should be enhanced considerably and we should teach a lesson to everyone who indulges in crime or violence against women and who does not think of gender justice so that they would think twice before they act against women.

There is a need to ensure good governance. If governance is good, no one dare go against women. If message goes out that anyone who commits a crime or bents rules or laws is not spared, then we can see equality, gender justice and women empowerment.

In the end, I would request all of you to dedicate yourselves wholeheartedly to surge ahead in ensuring women empowerment in real sense of the term.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Thank you, Madam Speaker. I will just take one minute. The entire House has spoken on this subject in one voice. So, there is no dispute. I will just make two points.

Sushma ji has said: "The only solution to this problem is that we must instill fear in the minds of aggressors by making stringent laws. Everybody agrees on that. My question is this. Does it mean that we have to set the system right? There are loopholes in the system. Everybody wants to set it right. Everybody wants the same. The entire House says the same thing but still it is not happening. Still she is not getting justice. I think, the time has come when we have to overall or, at least, make some changes in the system. Whatever we feel, our concern will mean something to her only if she gets it on the ground. She will get it only, if we set the system right.

I would like to ask something from Sushma ji but she is not here. My colleague from TMC said and even Justice Verma said in his report: "Whether a woman belongs to Jammu and Kashmir; whether she belongs to North-East or any part of the country; she needs justice." I am grateful to Justice Verma that he had taken it up. He had said and recommended, "the

rapes which take place in Jammu and Kashmir, and the rapes which take place in North East or any part of the country on women under the garb of Armed Forces Special Powers Act, they should also get justice". But they are not getting it because the people in uniform run away under the garb of Armed Forces Special Powers Act.

So, I would recommend to the Government to consider the Report submitted by Justice Verma, in which he had strongly recommended that even people in uniform should be tried under civil laws and not under Army camera. I would also recommend that woman is a woman whether she belongs to Jammu and Kashmir, North East or any part of the country, she should get equal justice.

This is my plea to the Government.

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको एवं सदन की सारी महिला सदस्यों को तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों को इस शुभ दिन की बधाई देती हूं। दिल में अत्यन्त दुख के साथ मैं यह बधाई दे रही हूं क्योंकि आज का दिन नारी सशक्तीकरण का दिन है लेकिन हमारे मन में बहुत तकलीफ है। जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, महिला सशक्तीकरण का समय है लेकिन फिर भी स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है।

जब हम अपने पुराने इतिहास को देखते हैं तो हम वेद पुराणों में देखते हैं कि हमारे देश में स्त्रियों को काफी ऊंचा सम्मान दिया गया। वहां पर उनको वेद के पठन-पाठन का अधिकार दिया गया। हवन करने का अधिकार दिया गया। प्राचीन काल में गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं थीं। महाकवि कालिदास की प्रेरणा भी एक स्त्री ही थी जिन्होंने अभिज्ञानशाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी थी। रत्नावली भी ऐसी ही एक महिला थीं जिन्होंने अपने पति महाकवि तुलसीदास को यह प्रेरणा दी कि रात के अंधेरे में जैसी प्रीति आपकी हमारे साथ है, वैसी प्रीति अगर भगवान प्रभु राम के साथ होती तो आप एक बहुत ऊंचे योगी बन गये होते और उसी उलाहना ने उनको इतना विद्वान बनाया कि उन्होंने रामचरित मानस जैसे महाकाव्य की रचना की। हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में ही लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता- अर्थात् जहां नारियों की पूजा की जाती है, वहां ही देवता का निवास होता है। किंतु समय बदला, स्थितियां बदलीं, पर्दे का चलन हुआ और स्त्रियां पर्दे में कैद हो गई और समय के साथ साथ वह गंदगी आई जिसका आज समाज में हम बढ़ता हुआ रूप देख रहे हैं तथा तभी आज हम कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी।

आज एक महीने में 554 महिलाओं से छोड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। लगभग एक दिन में औसत 4 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो पाएंगे कि ये घटनाएं काफी शर्मसार करने वाली हैं। अभी जो 16 दिसम्बर 2012 में घटना घटी, उस घटना ने हम भी को शर्मसार कर दिया।

14.00 hrs.

उस घटना ने हम सबको सोचने को मजबूर कर दिया कि हमने आज पढ़ लिखकर, शिक्षित होकर, सभ्य समाज के नागरिक होकर कैसे समाज का निर्माण किया है। आज हम इस तरह के अत्याचार, जघन्य घटनाओं के खिलाफ कड़े नियम बनाने की मांग कर रहे हैं। कभी फांसी देने की मांग करते हैं और कभी शारीरिक दृष्टि से अक्षम बनाने की मांग करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो कहीं न कहीं जरूर सोचने को मजबूर हो जाते हैं, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचने का मजबूर हो जाता है कि आज समाज को क्या हो गया है? महिला मां बनकर बच्चे को कोख में पालती है, मातृत्व देती है जिसके अमृत से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बहन के रूप में रक्षा सूत्र कलाई पर बांधती है, पत्नी और सहचरी बनकर जीवन के दुख सुख को बांटती है, जीवन में समरता का भाव लाती है। गांवों में आज भी माना जाता है कि लड़का होगा तो वंश बढ़ेगा इसलिए लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता है इसलिए स्त्रियों का अनुपात कम हो रहा है। हमें लड़कियों की घटती संख्या चेतावनी दे रही है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग शहरों में बड़े डाइग्नोस्टिक सैंटर्स में जाते हैं जहां जन्म से पहले ही लड़की को मार दिया जाता है। शहरों में भ्रूण हत्या बहुत तेजी से फैलता हुआ जुर्म है। नियम भी बने हैं लेकिन नियमों का पालन कहीं नहीं हो रहा है। लिंग अनुपात विषम हो रहा है, यह हमें चेतावनी दे रहा है।

अध्यक्ष महोदया, स्त्रियां कुपोषण की शिकार हैं। खून की कमी की शिकार हैं और इसके कारण शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है। इन हालातों को देखते हुए स्त्री की दशा में सुधार के लिए कई कार्यक्रमों की जरूरत है। स्त्री को सबसे पहले अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियों को बदलते परिवेश में उपभोक्तावादी संस्कृति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसके लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। कानूनी व्यवस्था के नियमों के साथ आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज के हालात में हमें महाकवि जयशंकर प्रसाद की इस कविता को अपने जीवन में लाना चाहिए-

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में,

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।

अध्यक्ष महोदया : इस चर्चा का बहुत सुंदर समापन हुआ। Hon. Members, we have had an extremely fruitful discussion on the occasion of the International Women's Day.

We are the Parliament of India representing 120 crores men and women of the largest democracy of the world. We legislate, we exercise oversight on the Executive, and through our debates on the floor of the House we also change the mindset of the people. We must resolve to enact legislations for the safety, security, welfare and empowerment of women. We must also keep close watch as to how these laws are being implemented by the Executive.

More importantly we should also have at least one discussion as suggested on women issues in every Session to change the attitude of the people towards women.

This Parliament, the supreme body, today has sent a clear message that women in India will be empowered and will always be held in the greatest of respect.